मारवाड़ी युवक संघ, वाराणसी
संशोधित स्मृति-पत्र

1. **संस्था का नाम** : **मारवाड़ी समाज, वाराणसी**

वर्तमान में संस्था का नाम मारवाड़ी युवक संघ, वाराणसी है। लेकिन नियमावली के पंजीकृत होने की तारीख/दिनांक से मारवाड़ी समाज, वाराणसी रहेगा तथा मारवाड़ी युवक संघ, वाराणसी की सभी चल-अचल सम्पत्ति, सभी बैंक खातों में जमा धनराशि, सावधि जमा, सभी परिपत्र एवं सभी लेखा पुस्तकें एवं परिपत्र, सभी सदस्य एवं पदाधिकारी तथा कर्मचारी मारवाड़ी समाज, वाराणसी के नाम से माने/जाने जायेंगे। उपरोक्त निर्णय को किसी भी संस्थागत बैठक या किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह के विवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

2. **स्थायी कार्यालय** : समाज का स्थायी कार्यालय डी.48/142-बी-7, मिश्रपोखरा, लक्सा रोड, वाराणसी-221010 है और वही रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर शाखा कार्यालय अन्य स्थानों पर भी खोले अथवा बन्द किये जा सकते हैं।

3. **संस्था का कार्यक्षेत्र** : सम्पूर्ण भारत इसका कार्य क्षेत्र होगा।

4. **संस्था के उद्देश्य** :

4.1 काशी के मारवाड़ी समाज को संगठित करना एवं उसमें जागृति उत्पन्न करना।

4.2 समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना।

4.3 समाज एवं देश की सेवा करना।

4.4 दीन-हीन, असहायों की सेवा-सहायता करना।

4.5 समाज के निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह के लिये सुविधानुसार आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान करना।

4.6 विभिन्न उद्यम तथा व्यवसाय के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

4.7 वैवाहिक तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिये बर्तन, दरी, चाँदनी, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना।

प्राप्तकर्ता 07/05/202_ कार्यालय ... रजिस्ट्रार ... प्र०

आनन्द हरिया

मारवाड़ी युवक संघ
संयोजक
(संविधान संशोधन समिति)

मारवाड़ी युवक संघ
अध्यक्ष

मारवाड़ी युवक संघ
प्रधानमंत्री

4.8 सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यों हेतु भवन का निर्माण करना तथा करवाना ।

4.9 पर्यटकों हेतु निवास तथा उनके मार्गदर्शन की व्यवस्था, योग-शिक्षण एवं प्रशिक्षण को आयोजित करना ।

4.10 कमजोर आय वर्ग एवं दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, भोजन वस्त्र तथा छात्रावास आदि की व्यवस्था करना ।

4.11 जन सामान्य के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक समारोह, शास्त्र चर्चा, प्रवचन, कथा-कीर्तन आदि का आयोजन करना ।

4.12 पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षण संस्थायें तथा छात्रावास स्थापित करना ।

4.13 साधनहीन तथा रोगग्रस्त के लिये चिकित्सा की व्यवस्था करना ।

4.14 निराश्रित विधवाओं, वृद्धों तथा अशक्त व्यक्तियों की आवास, भोजन, वस्त्र आदि से सहायता करना ।

4.15 इन उद्देश्यों की पूर्ति में लगी संस्थाओं को संयोजित करना ।

4.16 जरूरतमन्द एवं विकलांग व्यक्तियों के व्यवसाय एवं नियोजन हेतु अवसरों का समायोजन करना ।

4.17 उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन संग्रह करना, दान लेना या वह धन चल अथवा अचल सम्पत्ति किसी भी रूप में या दोनों रूप में हो लेना तथा ऐसे दान जो प्राप्त होंगे, उन्हें दाता द्वारा निर्देशित उद्देश्यों के लिये खर्च करना पर इस प्रतिबन्ध के साथ कि दाता द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य संस्था के अन्य उद्देश्यों के विपरीत न हो ।

4.18 उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और जो कुछ भी आवश्यक प्रतीत हो, उसको करना ।

5. **<u>परिभाषा</u>** : इस नियमावली में उल्लिखित सन्दर्भों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

5.1 समाज से तात्पर्य मारवाड़ी समाज से है ।

5.2 'सदस्य' से तात्पर्य संस्था के सदस्य से होगा जिसका विवरण आगे दिया हुआ है ।

5.3 'साधारण सभा' से तात्पर्य संस्था के समस्त सदस्यों से हैं ।

5.4 पदाधिकारियों से तात्पर्य साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों से हैं ।

5.5 समाज की चल तथा अचल सम्पत्ति से तात्पर्य समाज द्वारा अब तक स्थापित तथा आगे स्थापित की जाने वाली सम्पत्ति से है ।

6. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता व व्यवसाय तथा पद जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया ।

वर्तमान सूची प्रबन्ध समिति

क्र.	नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	प्रमोद कुमार बजाज	स्व. सांवलराम बजाज	हनुमानपुरा, विजयानगरम्, वाराणसी	व्यापार	अध्यक्ष
2.	पवन कुमार अग्रवाल	स्व. डी.सी अग्रवाल	गिरीनगर एक्सटेंशन, महमूरगंज, वाराणसी	व्यापार	प्रथम उपाध्यक्ष
3.	संजय छावछरिया	स्व. अरूण कुमार छावछरिया	रानी भवानी गली, दशाश्वमेध, वाराणसी	व्यापार	द्वितीय उपाध्यक्ष
4.	मनीष गिनोड़िया	श्री कन्हैया लाल गिनोड़िया	फातमान रोड, वाराणसी	व्यापार	प्रधानमंत्री
5.	यदुदेव अग्रवाल	श्री वासुदेव अग्रवाल	आनन्दबाग कालोनी, महमूरगंज, वाराणसी	व्यापार	संयुक्त मंत्री
6.	राकेश अग्रवाल	श्री मदन लाल अग्रवाल	बड़ी गैबी, महमूरगंज, वाराणसी	व्यापार	भण्डारमंत्री
7.	राजेश पोद्दार	स्व. महाबीर प्रसाद पोद्दार	बिरदोपुर, महमूरगंज, वाराणसी	फोटोग्राफी	प्रचार मंत्री
8.	अरविन्द जैन	स्व. किशन चन्द जैनं	वरूणापुल, वाराणसी	व्यापार	सांस्कृतिक मंत्री
9.	मदन मोहन अग्रवाल	स्व. डी.सी. अग्रवाल	तुलसीपुर, बिरदोपुर, वाराणसी	व्यापार	समाज कल्याण मंत्री
10.	निखिल सर्राफ (सीए)	श्री पुरूषोत्तम सर्राफ	भगवानदास कालोनी, रथयात्रा, वाराणसी	सी.ए.	कोषाध्यक्ष
11.	आलोक मोदी	स्व. रामगोपाल मोदी	सिगरा, महमूरगंज, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
12.	अमित मोदी	श्री अजय कुमार मोदी	कोतवालपुरा, बाँसफाटक, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी

क्र.	नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पद
13.	आनन्द लड़िया	स्व. ओमप्रकाश लड़िया	रथयात्रा, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
14.	अनिल अग्रवाल	स्व. मदनलाल अग्रवाल	जवाहर नगर कालोनी, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
15.	अंशित गिनोड़िया	श्री अशोक गिनोड़िया	फातमान रोड, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
16.	अशोक अग्रवाल	श्री रामेश्वर दास अग्रवाल	चन्द्रिका नगर कालोनी, सिगरा, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
17.	अशोक अग्रवाल	श्री किशन चन्द अग्रवाल	धूपचण्डी, जगतगंज, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
18.	दीपक तोदी	स्व. श्री कृष्ण तोदी	शिवप्रसाद गुप्त नगर कालोनी, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
19.	कमलेश अग्रवाल (सीए)	श्री शम्भू दयाल अग्रवाल	गुरूधाम कालोनी, भेलूपुर, वाराणसी	सी.ए.	सदस्य कार्यकारिणी
20.	किशन नवलगढ़िया	स्व. नरोत्तम दास	रविन्द्रपुरी कालोनी, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
21.	महेश चौधरी	स्व. मदनलाल चौधरी	अन्नपूर्णा नगर, विद्यापीठ, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
22.	मनमोहन बेरीवाल	स्व. पन्नलाल बेरीवाल	गोयनका गली, अस्सी, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
23.	मनीष लोहिया	श्री ओमप्रकाश लोहिया	शान्तिपुरम् कालोनी, बिरदोपुर,	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
24.	मनीष तुलस्यान	श्री जगदम्बा प्रसाद तुलस्यान	छोटी गैबी, रथयात्रा, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
25.	मनोज कुमार बजाज	श्री महाबीर प्रसाद बजाज	काटन मिल कालोनी, चौकाघाट, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
26.	पवन मोदी	स्व. हनुमान प्रसाद मोदी	जवाहर नगर कालोनी, भेलूपुर, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी

क्र.	नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पद
27.	विजय बाजोरिया	स्व. नन्दलाल बाजोरिया	साक्षी विनायक, विश्वनाथ गली, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
28.	राम बूबना	स्व. सीताराम बूबना	जवाहर नगर कालोनी, भेलूपुर, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
29.	संदीप तुलस्यान	स्व. देवीप्रसाद तुलस्यान	विराट ऐश्वर्या काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
30.	सुमित केडिया	श्री रमेश चन्द्र केडिया	दुर्गाकुण्ड, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी
31.	श्याम मनोहर लोहिया	श्री उमाशंकर लोहिया	विनायका, वाराणसी	व्यापार	सदस्य कार्यकारिणी

7. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपर्युक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, सन् 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर कराना चाहते हैं ।

दिनांक :

मारवाड़ी युवक सघ
संयोजक
(संविधान संशोधन समिति)

मारवाड़ी युवक सघ
अध्यक्ष

मारवाड़ी युवक संघ
प्रधानमंत्री

मारवाड़ी समाज, वाराणसी
संशोधित नियमावली

1. **संस्था का नाम** : **मारवाड़ी समाज, वाराणसी**

वर्तमान में संस्था का नाम मारवाड़ी युवक संघ, वाराणसी है। लेकिन नियमावली के पंजीकृत होने की तारिख/दिनांक से मारवाड़ी समाज, वाराणसी रहेगा तथा मारवाड़ी युवक संघ, वाराणसी की सभी चल-अचल सम्पत्ति, सभी बैंक खातों में जमा धनराशि, सावधि जमा, सभी परिपत्र एवं सभी लेखा पुस्तकें एवं परिपत्र, सभी सदस्य एवं पदाधिकारी तथा कर्मचारी मारवाड़ी समाज, वाराणसी के नाम से जान/माने जायेंगे। उपरोक्त निर्णय को किसी भी संस्थागत बैठक या किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह के विवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

2. **संस्था का स्थायी पता** : समाज का स्थाई कार्यालय, डी.48/142 बी-7 मिश्र पोखरा, लक्सा रोड, वाराणसी-221001 है और वही रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर शाखा कार्यालय अन्य स्थानों पर खोले तथा बन्द किये जा सकते हैं।

3. **संस्था का कार्य क्षेत्र** : सम्पूर्ण भारत वर्ष

4. **सदस्य** : संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे

4.1 **आजीवन सदस्य** : वे जो समाज को 1100/- (एक हज़ार एक सौ) रुपये मारवाड़ी वैश्य एकबार में देकर संस्था का सदस्यता पत्र भर कर देंगे, वे आजीवन सदस्य होंगे।

4.2 **संरक्षक सदस्य** : संरक्षक सदस्यों की सदस्यता का सम्पूर्ण विवरण संरक्षक मण्डल में लिखा गया है।

4.3 **महिला संगठन का सदस्य** : महिला संगठन के सदस्यता का सम्पूर्ण विवरण महिला संगठन में लिखा गया है।

4.4 **सम्मानित सदस्य** : संविधान संशोधन के पूर्व जो व्यक्ति संस्था की नियमावली के विरूद्ध आजीवन सदस्य बन गये हैं उन्हें सम्मानित सदस्य कहा जायेगा।

प्राप्तकर्ता – कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार वाराणसी उ० प्र०

मारवाड़ी युवक संघ — संयोजक (संविधान संशोधन समिति)

मारवाड़ी युवक संघ — अध्यक्ष

मारवाड़ी युवक संघ — प्रधानमंत्री

4(अ) सदस्यता का विवरण एवं नियमः

4(अ1) वाराणसी जनपद निवासी वयस्क मारवाड़ी वैश्य ही आजीवन सदस्य ही बन सकेगें ।

4(अ-2) आजीवन सदस्य अपने जीवनकाल तक संस्था के सदस्य बने रहेंगे । इस नियमावली के लागू होने के पूर्व जो व्यक्ति आजीवन सदस्य बन चुके हैं, वे भी आजीवन सदस्य बने रहेंगे ।

4(अ-3) सम्मानित सदस्य न तो किसी पद के प्रत्याशी हो सकेंगे और न ही किसी भी सभा में ये अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे । ऐसे सदस्यों के नाम के पहले सम्मानित शब्द का अवश्य प्रयोग होगा तथा इसकी सूची भी अलग रहेगी । समाज के अन्य कार्यों में इनकी पूर्ण भागीदारी रहेगी ।

4.ब सदस्यता हेतु आवेदन एवं निर्णय :

4(ब-1) अधिकृत आवेदन पत्र पर आजीवन सदस्यता के लिए आवेदन, समाज के प्रधानमंत्री के पास किया जा सकेगा किन्तु ऐसा आवेदन, वर्तमान में समाज के किसी एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित एवं अन्य एक सदस्य द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होगा ।

4(ब-2) समाज की प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति की सदस्यता स्वीकार करे अथवा न करे । इसके लिए उसे किसी प्रकार का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । लेकिन प्रार्थना-पत्र प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के अन्दर निर्णय लेना आवश्यक होगा ।

5. सदस्यता की समाप्ति :

5.1) किसी भी सदस्य द्वारा लिखित त्याग-पत्र देने पर ।

5.2) समाज के हित के विरूद्ध कोई काम करने वाले सदस्य की अथवा जिसकी मनःस्थिति विकृत हो जायेगी या न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर उसकी सदस्यता समाज से प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

5.3) संस्था की नियमावली के किसी भी धारा के विपरीत अगर कोई व्यक्ति समाज का सदस्य बनता या बनाया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी । इसके लिए उसको सूचना देना आवश्यक नहीं होगा साथ ही साथ प्रस्तावक एवं अनुमोदक का भी प्रबन्ध समिति चाहे तो संरक्षक मण्डल की सहमति से सदस्यता समाप्त कर सकती है ।

5.4) किसी भी सदस्य के निधन होने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

6. **संस्था के अंग :**

6.1 **साधारण सभा**

6.2 **संरक्षक मण्डल**

6.3 **प्रबन्ध समिति**

6.4 **मारवाड़ी महिला संगठन साधारण सभा**

6.5 **मारवाड़ी महिला संगठन प्रबन्ध समिति**

6.6 **मारवाड़ी महिला संगठन सलाहकार मण्डल**

6.7 **अन्य समितियाँ**

7. **साधारण सभा :**

7.1 **गठन :** संस्था के आजीवन सदस्यों द्वारा गठित सभा, साधारण सभा होगी ।

7.2 **बैठक :** साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन लेखा वर्ष की समाप्ति के 4 माह के अन्दर बुलाना अनिवार्य होगा । आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में एक से अधिक बैठक भी की जा सकती है ।

7.3 **अध्यक्षता :** सभा की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वरिष्ठता अनुसार अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कोई भी उपस्थित न हो तो उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनकर उस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगी । उक्त अध्यक्ष को केवल उस बैठक में निर्वाचित अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, बैठक के पश्चात् नहीं ।

7.4 **निर्णय :** बैठक में किसी भी प्रस्ताव का निर्णय बहुमत द्वारा होगा । मतों में समानता होने पर अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे अपना निर्णायक मत देकर निर्णय लें ।

7.5 **वित्तीय कार्यकाल :**समाज का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

7.6 **बैठक सूचना अवधि :** साधारण सभा की बैठक की सूचना 20 दिन पूर्व सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर तथा एस.एम.एस. एवं व्हाट्स-अप या राष्ट्रीय एवं सांध्यकालीन समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित कराकर देनी होगी तथा अति-आवश्यक बैठक प्रमुख समाचार-पत्र/पत्रों में 3 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

7.7 **गणपूर्ति :** साधारण सभा की गणपूर्ति 101 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए । स्थगित बैठक 15 दिन के भीतर बुलाने पर गणपूर्ति की अनिवार्यता नहीं होगी ।

लेकिन बैठक में विचारणीय विषय स्थगित बैठक वाले ही होंगे ।

7.8 साधारण सभा के कर्त्तव्य :

7.8.1 संस्था के वार्षिक अधिवेशन में आडिटेड एकाउण्ट पास करना अनिवार्य होगा ।

7.8.2 विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार नियमावली में परिवर्तन करनां धारा 16.2 के अनुसार ।

7.8.3 संस्था की सम्पत्ति तथा कार्यों का विवरण प्राप्त करना । विचार करना एवं आवश्यकतानुसार निर्णय देना ।

7.8.4 प्रबन्ध समिति द्वारा साधारण सभा हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर निर्णय देना ।

8. <u>संरक्षक मण्डल</u> :

मारवाड़ी समाज वाराणसी के अन्तर्गत एक संरक्षक मण्डल होगा, जिसमें संस्था की समस्त अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकार निहित होंगे । यह संरक्षक मण्डल मारवाड़ी समाज के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने व करवाने वाली इकाई होगा ।

8.1 सदस्यता : संरक्षक मण्डल के सदस्य समाज के निम्नलिखित व्यक्ति होंगे -

8.1.1 संस्था के समस्त भूतपूर्व अध्यक्ष आजीवन संरक्षक मण्डल के सदस्य रहेंगे ।

8.1.2 संस्था के वे व्यक्ति जिनका इस संस्था में विशेष योगदान रहा हो, प्रबन्ध समिति के निर्णय पर संरक्षक मण्डल में सदस्य मनोनीत किये जा सकते हैं । इनकी अधिक से अधिक संख्या दो होगी तथा वर्तमान प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक ही इनका कार्यकाल होगा । इन्हें पुनः मनोनीत किया जा सकेगा ।

8.1.3 संस्था के वे आजीवन सदस्य जिनसे विशेष आर्थिक सहयोग (न्यूनतम 5 लाख) प्राप्त होगा उनके नाम को प्रबन्ध समिति संरक्षक मण्डल की सदस्यता हेतु स्वीकार कर सकती है । प्रत्येक कार्यकारिणी कार्यकाल में इनकी अधिकतम संख्या 5 होगी, परिस्थिति विशेष में कार्यकारिणी संख्या वृद्धि हेतु संरक्षक मण्डल से निवेदन कर सकती है । इनकी न्यूनतम आयु 55 वर्ष होगी ।

8.1.4 इस नियमावली के लागू होने के पूर्व जो व्यक्ति संरक्षक मण्डल के सदस्य बन चुके हैं वे भी संरक्षक मण्डल के आजीवन सदस्य रहेंगे ।

8.2 **सदस्यता की समाप्ति** : निम्न में से किसी एक कारण से सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।

8.2.1 किसी भी संरक्षक द्वारा बिना किसी शर्त के लिखित त्याग-पत्र देने पर ।

8.2.2 किसी भी संरक्षक की संस्था से सदस्यता समाप्त होने पर ।

8.3 **अधिकार** : संरक्षक मण्डल के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन प्रबन्ध समिति द्वारा अपने कार्यकाल तक मनोनीत संरक्षक मण्डल के सदस्यों को संरक्षक मण्डल के पदाधिकारी के रूप में चयनित/मनोनीत होने का अधिकार नहीं होगा । अर्थात् वे संरक्षक मण्डल के पदाधिकारी नहीं हो सकेंगे।

8.4 **पदाधिकारी** : संरक्षक मण्डल में निम्न पाँच पदाधिकारी होंगे -

1) **अध्यक्ष**
2) **प्रथम उपाध्यक्ष**
3) **द्वितीय उपाध्यक्ष**
4) **मंत्री**
5) **कोषाध्यक्ष**

8.5 **कार्यकाल** : संरक्षक मण्डल के पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जो एक जुलाई से अगले 3 वर्ष यानि 30 जून तक मान्य होगा ।

8.6 **रिक्त स्थानों की पूर्ति** :

8.6.1 कार्यकाल के भीतर संरक्षक मण्डल के पदाधिकारी का स्थान किसी भी कारण से रिक्त होने पर संरक्षक मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह संरक्षक मण्डल के सदस्यों में से ही उक्त स्थान की पूर्ति कर ले ।

8.6.2 मनोनीत सदस्य का स्थान किसी कारण से रिक्त होने पर प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह बचे हुए अपने कार्यकाल के लिए संस्था के आजीवन सदस्यों में से किसी को भी संरक्षक मण्डल का सदस्य मनोनीत कर दे ।

8.6.3 कोई भी संस्था का आजीवन सदस्य संरक्षक मण्डल या प्रबन्ध समिति में से किसी एक का सदस्य हो सकेगा । यदि कोई संरक्षक मण्डल का सदस्य प्रबन्ध समिति के लिए निर्वाचित या मनोनीत होता है तो वह उक्त प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक संरक्षक मण्डल का सदस्य नहीं रहेगा तथा प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर स्वतः संरक्षक मण्डल का सदस्य हो जायेगा ।

8.7 संरक्षक मण्डल के पदाधिकारियों का अधिकार / कर्त्तव्य :

8.7.1 अध्यक्ष :

8.7.1(क) संरक्षक मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

8.7.1(ख) मारवाड़ी समाज की प्रबन्ध समिति द्वारा नियमानुसार समय पर प्रबन्ध समिति का चुनाव न कराने पर यदि संरक्षक मण्डल प्रबन्ध समिति का कार्यभार संभालता है तब उन परिस्थिति में संरक्षक मण्डल के अध्यक्ष को प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के सारे अधिकार प्राप्त होंगे ।

8.7.2 उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतानुसार उनके अधिकार / कर्त्तव्यों का पालन / दायित्व का निर्वहन करना ।

8.7.3 मंत्री :

8.7.3(क) अध्यक्ष की अनुमति से संरक्षक मण्डल की बैठक नियमानुसार आहुत करना, उसका संचालन करना एवं तत्सबन्धित कार्यवाही सम्बन्धित पंजीका पर लिखना ।

8.7.3(ख) समाज के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में संरक्षक मण्डल का योगदान सुनिश्चित करना ।

8.7.3(ग) समाज के विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के संचालन में प्रबन्ध समिति के साथ समन्वय बनाये रखते हुए संरक्षक मण्डल की उपादेयता बनाये रखना ।

8.7.3(घ) मारवाड़ी समाज की प्रबन्ध समिति द्वारा नियमानुसार समय पर प्रबन्ध समिति का चुनाव न कराने पर यदि संरक्षक मण्डल प्रबन्ध समिति का कार्यभार संभालता है तब उन परिस्थिति में संरक्षक मण्डल के मंत्री को प्रबन्ध समिति के प्रधानमंत्री के सारे अधिकार प्राप्त होंगे ।

8.7.3(ङ) संरक्षक मण्डल के सारे कार्य मंत्री द्वारा सम्पादित होंगे ।

8.7.4 **<u>कोषाध्यक्ष</u> :** मारवाड़ी समाज की प्रबन्ध समिति द्वारा नियमानुसार समय पर प्रबन्ध समिति का चुनाव न कराने पर यदि संरक्षक मण्डल प्रबन्ध समिति का कार्यभार संभालता है तब उन परिस्थिति

में संरक्षक मण्डल के कोषाध्यक्ष को प्रबन्ध समिति के कोषाध्यक्ष के सारे अधिकार प्राप्त होंगे ।

8.8 संरक्षक मण्डल की बैठक :

8.8.1 संरक्षक मण्डल की बैठक संरक्षक मण्डल के मंत्री द्वारा वर्ष में कम से कम तीन बार बुलाना आवश्यक होगा ।

8.8.2 आवश्यक होने पर मंत्री किसी भी समय 7 दिन के अन्तराल पर संरक्षक मण्डल की बैठक आहुत कर सकता है ।

8.8.3 यदि मंत्री संरक्षक मण्डल की बैठक किसी कारणवश आहुत नहीं करते हैं तो अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर से बैठक आहुत कर सकते हैं ।

8.8.4 संरक्षक मण्डल के आधे से अधिक सदस्य आवश्यक होने पर अपने हस्ताक्षर से बैठक आहुत कर सकते हैं ।

8.9 <u>बैठक की गणपूर्ति</u> : संरक्षक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की संख्या के 1/2 से अधिक मानी जायेगी । उदाहरण के तौर पर यदि सदस्यों की कुल संख्या 30 या 31 है तो 16 सदस्यों की उपस्थिति को गणपूर्ति माना जायेगा ।

8.10 बैठक की अध्यक्षता : संरक्षक मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता संरक्षक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठतानुसार की जायेगी । अगर दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है तो सदस्यगण अपने मध्य से किसी सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में मनोनीत अध्यक्ष को निर्वाचित अध्यक्ष के सम्पूर्ण अधिकार उस बैठक के लिए प्राप्त होंगे । बैठक के पश्चात् नहीं ।

8.11 बैठक में निर्णय :

8.11.1 संरक्षक मण्डल के सभी निर्णय बहुमत द्वारा निर्णित होंगे ।

8.11.2 परिस्थिति विशेष में मतगणना होने पर यदि समान मत होते हैं तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा ।

8.12 बैठक की सूचना अवधि : संरक्षक मण्डल की बैठक की सूचना बैठक की तिथि से सात दिन पूर्व लिखित भेजनी आवश्यक होगी ।

8.13 <u>संरक्षक मण्डल का चुनाव-कार्य पद्धति</u> :

8.13.1 संरक्षक मण्डल के सदस्य अपने मध्य से एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक मंत्री, एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे । इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा । तीसरे वर्ष 30 जून के पूर्व चुनाव सम्पन्न कराना होगा जिसकी

सूचना संरक्षक मण्डल के सभी सदस्यों को लिखित रूप से 21 दिन पूर्व देनी होगी ।

8.13.2 अध्यक्ष पद हेतु उम्र 60 वर्ष या अधिक होगी एवं 5 वर्ष पुराना संरक्षक मण्डल का सदस्य होना आवश्यक होगा ।

8.13.3 शेष सभी पदाधिकारियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं संरक्षक मण्डल की सदस्यता 5 वर्ष पुरानी होनी आवश्यक है ।

8.13.4 संरक्षक मण्डल के चुनाव में एक से अधिक प्रत्याशी होने की स्थिति में चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा । चुनाव पूर्व चुनाव अधिकारी का मनोनयन आवश्यक होगा ।

8.13.5 कोई भी पदाधिकारी एक पद पर एक कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता । एक कार्यकाल के अन्तराल पर वह पुनः प्रत्याशी हो सकता है ।

8.13.6 किसी भी पदाधिकारी पद के प्रत्याशी पर संस्था का कोई भी शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए ।

8.14 <u>कार्यक्षेत्र</u> :

8.14.1 संस्था की समस्त अचल सम्पत्तियों की देखरेख संरक्षक मण्डल करेगा । संस्था में भविष्य में कोई भी अचल सम्पत्ति क्रय या अधिग्रहीत या लीज़ पर ली जाती है तो उसका सम्पूर्ण अधिकार संरक्षक मण्डल में निहित होगा ।

8.14.2 संस्था में आये किसी भी मतभेद को यदि प्रबन्ध समिति सुलझाने में असमर्थ होती है तो वह प्रस्तुत विषय समाधान हेतु संरक्षक मण्डल के सामने प्रस्तुत कर निर्णय ले सकती हैं । दिया गया संविधान सम्मत निर्णय पक्षकारों को मान्य होगा ।

8.14.3 प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कार्यों की सम्यक निगरानी रखना । आवश्यक होने पर उचित निर्देश देना । ऐसे दिये गये संविधान सम्मत निर्देशों का पालन प्रबन्ध समिति द्वारा आवश्यक होगा ।

8.14.4 संस्था के किसी भी श्रेणी के सदस्य को अगर प्रबन्ध समिति के कार्यों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई असन्तोष होता है तो प्रथम वो इसके निराकरण के लिए प्रबन्ध समिति के समक्ष शिकायत रखेगा । प्रबन्ध समिति अगर उस पर कोई निर्णय नहीं करती या प्रबन्ध समिति के निर्णय से प्रार्थी असन्तुष्ट है तो वो अपनी सम्पूर्ण समस्या संरक्षक

मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है । ऐसी स्थिति में संरक्षक मण्डल अपनी बैठक में प्रस्तुत विषय पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध समिति के किसी भी सदस्य को बुला सकता है । आवश्यक होने पर समस्त पत्रावली का अवलोकन कर सकता है । इसके पश्चात् दिये गये संविधान सम्मत निर्णय उभय पक्षों को मान्य होंगे ।

8.14.5 यदि संस्था की प्रबन्ध समिति, निर्धारित समय पर अगली प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु, साधारण सभा की बैठक आहुत नहीं करती है तो संरक्षक मण्डल प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रबन्ध समिति का कार्यभार संभाल लेगा और दो माह में प्रबन्ध समिति का चुनाव करा देवेगा । ऐसी स्थिति में संरक्षक मण्डल का अध्यक्ष, अध्यक्ष और मंत्री, प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का कार्य करेगा एवं संरक्षक मण्डल के सदस्यों में से ही, अन्य पदों के लिए उनके द्वारा मनोनयन किया जा सकेगा ।

8.14.6 देश के विभिन्न भागों में मारवाड़ी अग्रवाल संस्थाओं से सम्पर्क करना । उनके कार्यक्रमों से संस्था के सदस्यों को अवगत कराना और संस्था के क्रियाकलापों को विभिन्न संस्थाओं तक पहुँचाना । सम्पूर्ण देश में समाज की एकता एवं जागरूकता के लिए नियमित राष्ट्रीय अधिवेशन सरीखे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना एवं कार्यान्वित करना ।

8.14.7 संस्था द्वारा संचालन हेतु लीज या अन्य प्रकार से कोई सम्पत्ति के प्रस्ताव पर विचार कर इस हेतु अलग समिति का गणना करना एवं संचालित करना यह समिति स्वतन्त्र रुप से मारवाड़ी समाज के अन्तर्गत कार्य करेगी ।

8.15 संरक्षक मण्डल की समस्त पत्रावली संरक्षक मण्डल के मंत्री की सुरक्षा में रखी जायेगी ।

8.16 संरक्षक मण्डल के कार्यकलापों के सम्पादन हेतु मंत्री, प्रबन्ध समिति के प्रधानमंत्री को निर्देश देकर संस्था के किसी कर्मचारी द्वारा समस्त कार्य करवा सकते हैं । इसमें प्रबन्ध समिति को किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा ।

8.17 संरक्षक मण्डल द्वारा प्रेषित सूचनानुसार प्रबन्ध समिति के प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा कि संरक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की व्यवस्था पूर्ण सुचारू रुप से करें ।

8.18 विशेष परिस्थितियों में सूचना प्राप्त होने पर संरक्षक मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये किसी असंवैधानिक निर्णय या निर्णयों को निरस्त कर देवें । ऐसी परिस्थिति में प्रबन्ध समिति वह कार्य नहीं कर सकेगी । जिसके लिए संरक्षक मण्डल निषेधाज्ञा प्रदान करेगा ।

8.19 संस्था द्वारा अर्जित चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार संरक्षक मण्डल में निहित होगा ।

8.20 प्रबन्ध समिति को दिये जाने वाले किसी भी निर्णय पर संरक्षक मण्डल की बैठक में विचारोपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा ।

9. **प्रबन्ध समिति :**

9.1 **गठन :** संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्यों के संचालन हेतु 31 सदस्यों की एक प्रबन्ध समिति होगी जिसमें 26 सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जायेगा तथा शेष 5 सदस्य जो संयोजित सदस्य होंगे, का मनोनयन निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्य करेंगे ।

9.2 **लेखा सत्र** - समिति का लेख सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा ।

9.3 प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा जो 16 जनवरी से प्रारम्भ होकर अगले 24 महीनों के लिए प्रभावी होगा । तत्पश्चात् 16 जनवरी से अगली नई प्रबन्ध समिति स्वतः पदासीन मानी जायेगी ।

9.4. इस प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होगें ।

1. **अध्यक्ष**
2. **प्रथम उपाध्यक्ष**
3. **द्वितीय उपाध्यक्ष**
4. **प्रधानमन्त्री**
5. **संयुक्त मंत्री**
6. **भण्डार मंत्री**
7. **प्रचार मंत्री**
8. **सांस्कृतिक मंत्री**
9. **समाज कल्याण मंत्री**
10. **कोषाध्यक्ष**
11. **इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी के 16 सदस्यों का चुनाव होगा ।**

9.5 **बैठकः** प्रबन्ध समिति की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार होगी । आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा भी हो सकती है ।

9.6 **गणपूर्तिः** इसमें कम से कम सोलह सदस्यों की उपस्थिति से ही संख्या पूर्ति (कोरम) हो सकेगी । संख्या पूर्ति न होने के कारण स्थगित बैठक पुनः सूचना देकर एक सप्ताह के अन्दर बुलाई जा सकेगी। ऐसी बैठक की कार्यवाही के लिए संख्यापूर्ति की अनिवार्यता नहीं होगी । लेकिन बैठक में विचारणीय विषय स्थगित बैठक वाले ही होंगे ।

9.7 **सूचना अवधिः** प्रबन्ध समिति की बैठक की सूचना बैठक की तारीख से सात दिन पूर्व भेजनी आवश्यक होगी । अति आवश्यक बैठक 24 घण्टे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है । आवश्कता पड़ने पर महीने में एक से अधिक बैठक भी की जा सकती है । प्रबन्ध समिति के 16 सदस्यों के हस्ताक्षर से अथवा अध्यक्ष के आदेश पर प्रधानमन्त्री के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक बुलाये । यदि प्रधानमंत्री ऐसी सूचना पाने के 15 दिन के अंदर बैठक न बुलाये तो अध्यक्ष द्वारा सात दिन में बैठक बुलाना आवश्यक होगा । अध्यक्ष के द्वारा सात दिन में बैठक न बुलाने पर उक्त 16 सदस्य एक सप्ताह के भीतर अपने ही हस्ताक्षर से बैठक बुला सकते हैं ।

9.8 **अध्यक्षता :** प्रबन्ध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठानुसार उपाध्यक्ष करेंगे । अध्यक्ष तथा दोनों उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस बैठक के कार्य संचालन हेतु उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनकर उस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगा । उक्त अध्यक्ष को केवल उस बैठक में निर्वाचित अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, बैठक के पश्चात् नहीं ।

9.9 **निर्णय :** प्रबन्ध समिति की बैठक में सभी निर्णय बहुमत द्वारा होंगे । मतों में समानता होने पर उक्त बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना निर्णायक मत देकर निर्णय लें ।

9.10 **रिक्त स्थानों की पूर्तिः** वर्ष के भीतर प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा पदाधिकारी का स्थान किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह संस्था के सदस्यों में से उक्त स्थान की पूर्ति कर लें ।

9.11 **प्रबन्ध समिति से सदस्यता समाप्ति :**

9.11.1 कोई भी सदस्य संरक्षक मण्डल अथवा प्रबन्ध समिति में से किसी एक का सदस्य हो सकेगा यदि कोई प्रबन्ध समिति का सदस्य या पदाधिकारी संरक्षक मण्डल के लिए मनोनीत होता है तो प्रबन्ध समिति से उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी ।

9.11.2 प्रबन्ध समिति की लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण के बताये अनपुस्थित रहने वाले पदाधिकारी या सदस्य की प्रबन्ध समिति की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त की जा सकती है । किन्तु ऐसे सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा ।

9.11.3 प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी द्वारा लिखित त्याग-पत्र देने पर ।

9.11.4 संस्था की सदस्यता समाप्त होने पर ।

9.12 **<u>प्रबन्ध समिति का चुनाव</u>** :

प्रबन्ध समिति, नई प्रबन्ध समिति के चुनाव की तिथि (जो कि 15 जनवरी या उसके पूर्व ही होगी) की घोषणा, चुनाव तिथि से 30 दिन पूर्व करेगी और एक चुनाव अधिकारी का मनोनयन करेगी ।

9.12.1 चुनाव अधिकारी स्वतः किसी पद का प्रत्याशी नहीं हो सकेगा ।

9.12.2 चुनाव अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने कार्यों के संचालन हेतु एक या उससे अधिक व्यक्तियों की सेवायें ले सकता परन्तु वे व्यक्ति किसी पद के प्रत्याशी नहीं होगे ।

9.12.3 चुनाव की घोषणा के पश्चात् कोई भी व्यक्ति आजीवन सदस्य नहीं बन सकेंगे ।

9.12.4 समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 55 वर्ष से कम नहीं होगी । उसकी सदस्यता कम से कम 5 वर्ष पुरानी होगी ।

9.12.5 वही सदस्य उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी हो सकता है जिसकी उम्र 45 वर्ष एवं सदस्यता 5 वर्ष पुरानी होगी एवं अन्य सभी पदाधिकारी पद हेतु उम्र 40 वर्ष एवं सदस्यता 5 वर्ष पुरानी होगी ।

9.12.6 कोई भी प्रत्याशी किसी भी पदाधिकारी पद के लिये दो कार्यकाल तक के लिए एक साथ क्रमशः चुनाव लड़ सकता है । इसके पश्चात् पुनः उस पद पर उसको चुनाव लड़ने के लिए एक कार्यकाल का अन्तराल (गैप) देना आवश्यक होगा । इसके पश्चात् ऐसा प्रत्याशी पुनः दो कार्यकाल तक के लिए उसी पद का प्रत्याशी हो सकेगा ।

9.12.7 कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए केवल व्यक्तिगत सम्पर्क या पत्र द्वारा प्रचार कर सकेगा ।

9.12.8 अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी को मतदान के पूर्व आयोजित साधारण सभा में अपने कार्यक्रम व योजनाओं को 10 मिनट के लिए अपने परिचय के साथ सदस्यों को बताना आवश्यक होगा ताकि उनके कार्यक्रमों से मतदाता मतदान के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सके ।

9.12.9 चुनाव तिथि के 20 दिन पूर्व चुनाव के कार्यक्रम जैसे कि नामांकन, नामांकन पत्रों की जाँच, नामांकन वापस लेने की तिथि व मतदान की तिथि की घोषणा चुनाव अधिकारी करेंगे ।

9.12.10 चुनाव में भाग लेने वाले वैध मतदाताओं की सूची संस्था के भवन में चुनाव से 30 दिन पूर्व उचित शुल्क पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

9.12.11 चुनाव में भाग ले रहे अन्तिम वैध प्रत्याशियों की सूची संस्था के भवन में चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र वापस लेने के अन्तिम दिन के दूसरे दिन संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी ।

9.12.12 यदि किसी पद पर मतदान की आवश्यकता हुई तो घोषित तिथि पर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होगा ।

9.12.13 कोई सदस्य किसी एक पद का ही प्रत्याशी हो सकेगा । यानि कि यदि किसी ने एक से अधिक पद के लिए नामांकन भरा हो तो उसे नामांकन वापस लेने के अन्तिम क्षण के पूर्व एक पद को छोड़ कर अन्य सभी पद या पदों से जिसका वह प्रत्याशी है, अपना नामांकन वापस लेना होगा अन्यथा उसके सभी पदों के नामांकन रद्द माने जायेंगे ।

9.12.14 जिस पद के लिए जो सदस्य प्रत्याशी होगा । उसी पद के लिए वह अन्य सदस्य का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकेगा । प्रबन्ध समिति के सदस्य के लिए (प्रशासनीय पद के लिए नहीं) प्रत्याशी अन्य सदस्यों का प्रस्तावक या अनुमोदन हो सकता हैं ।

9.12.15 प्रत्याशी स्वयं अपना प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकता ।

9.12.16 नाम वापसी के लिए प्रत्याशी को अपने हस्ताक्षर से एक पत्र चुनाव अधिकारी को निर्धारित समय में देना होगा । नाम वापसी के पश्चात् यदि किसी एक पद पर या एक से अधिक पद पर कोई भी प्रत्याशी नहीं रहता है तो नव-निर्वाचित प्रबन्ध समिति अपनी प्रथम बैठक में सभी रिक्त स्थान की पूर्ति करेगी तथा उक्त बैठक का कोरम निर्वाचित

पदाधिकारी एवं सदस्यों की संस्था के आधे से अधिक होगा ।

9.12.17 यदि किसी परिस्थितिवश चुनाव अधिकारी अपना कार्य सम्पादित नहीं कर सकेंगे तो प्रबन्ध समिति नये निर्वाचन अधिकारी का मनोनयन करेगी और ऐसा निर्वाचन अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेगा ।

9.12.18 निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा की जायेगी जिसमें प्रत्येक प्रत्याशियों के प्राप्त मतों का विवरण भी रहेगा तथा अपने व साथ में संचालन हेतु सदस्यों से भी हस्ताक्षर कराके ऐसी रिपोर्ट समाज के प्रधानमंत्री को देंगे ।

9.12.19 चुनाव सम्बन्धित विषयों पर चुनाव अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

9.12.20 यह कि निर्वाचित पदाधिकारियों का पदग्रहण निर्वाचन के एक सप्ताह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा । एवम् पुराने अधिकारी नये अधिकारियों को अपने विभाग का लिखित चार्ज देना भी अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा सूचना प्रेस, बैंकों व अन्य जगहों में देने की जिम्मेदारी होगी ।

9.13 <u>प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य</u>: .....

9.13.1 प्रबन्ध समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह संस्था के समस्त आय तथा व्यय की समुचित व्यवस्था करे । प्रबन्ध समिति यदि अपनी बैठकों में स्वीकृत विशेष प्रस्तावों को आवश्यक समझे तो साधारण सभा के आगामी अधिवेशनों में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे । आवश्यतानुसार भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन एवं परिवर्धन करना ।

9.13.2 कार्यकाल के आरम्भ में ही मान्यता प्राप्त आडिटर की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत संस्था का वार्षिक कार्य विवरण तथा संस्था के आगामी वर्ष का अनुमानित आय-व्यय तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट (परीक्षक) द्वारा जाँचा गया गत वर्ष का वार्षिक हिसाब स्वीकार करना और साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करना । वार्षिक विवरण पुस्तिका में संस्था की समस्त सम्पत्ति का पूरा विवरण प्रकाशित करना ।

9.13.3 स्वीकृत प्रस्तावों को समाज में प्रचार की उचित व्यवस्था करना, साधारण सभा का सदस्य बनने के लिए आये हुए आवेदन पत्रों पर विचार तथा निर्णय करना ।

9.13.4 संरक्षक मण्डल द्वारा संघ की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के रख-रखाव में निर्देशानुसार सहयोग करना ।

9.13.5 संस्था की समस्त सम्पत्ति की व्यवस्था एवं सुरक्षा करना । संस्था की समस्त सम्पत्ति संस्था के ही नाम से होगी । किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं होगी ।

9.13.6 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इनकम टैक्स अधिनियम में प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन से दान-अनुदान व सहायता प्राप्त करना ।

9.13.7 विभिन्न विभागों के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु उप-समितियों का गठन करना एवं उन विभागों से सम्बन्धित नियम बनाना । ऐसी उप-समितियों में संस्था के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पदेन सदस्य होंगे ।

9.13.8 अन्य वे सभी कार्य जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो ।

9.13.9 संस्था की चल सम्पत्ति केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थायी व अस्थायी खातों में जमा की जा सकेगी । किसी भी सदस्य या प्राइवेट पार्टियों में संस्था का धन जमा नहीं कराया जायेगा । प्रबन्ध समिति इस पर पूरा नियंत्रण रखेगी । धन के अतिरिक्त अन्य चल सम्पत्ति जैसे भण्डार आदि का सामान संस्था के भवन में ही रखा जायेगा ।

9.14 **<u>उपसमिति</u> :**

9.14.1 उपसमितियों का गठन आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा । इनका कार्यकाल व अधिकार आदि प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित होगा ।

9.14.2 उपसमितियों का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगा ।

9.14.3 उपसमिति के अधिवेशन की तिथि एवं स्थान का निश्चय उसका संयोजक संस्था के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री से सलाह करके करेगा ।

9.14.4 प्रत्येक उपसमिति को अपनी प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्य विवरण समय-समय पर प्रबन्ध समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।

9.15. **अध्यक्ष के कर्त्तव्य :**

9.15.1 साधारण सभा तथा प्रबन्ध समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना ।

9.15.2 किसी विषय पर समान मत प्राप्त होने पर अपना निर्णायक मत देना ।

9.15.3 आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध समिति अथवा साधारण सभा का विशेष अधिवेशन बुलाना ।

9.15.4 संरक्षक मण्डल द्वारा माँगी गई सूचना को देना एवं प्राप्त निर्देशों का पालन करना ।

9.15.5 संस्था के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बद्ध पदाधिकारी एवं अन्य से जानकारी प्राप्त करना । आवश्यक होने पर किसी भी पदाधिकारी को निर्देश देना । ऐसा दिया गया संविधान सम्मत निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारी को मान्य होगा ।

9.16 **उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य :**

अध्यक्ष की अनुपस्थित में वरिष्ठतानुसार उनके कर्त्तव्यों का पालन करना

9.17 **प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य :**

9.17.1 नियमानुसार तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध समिति तथा साधारण सभा का अधिवेशन बुलाना ।

9.17.2 साधारण सभा एवं प्रबन्ध समिति की कार्यवाही लिखना तथा उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

9.17.3 कोषाध्यक्ष द्वारा प्रेषित हिसाब परीक्षक द्वारा जाँच करवा कर संस्था का वार्षिक हिसाब, वार्षिक कार्य विवरण तथा आगामी वर्ष के अनुमानित आय-व्यय को प्रबन्ध समिति एवं साधारण सभा में उपस्थित करना ।

9.17.4 संस्था की तरफ से किसी भी मुकदमें के मामलों की पैरवी करना तथा संस्था की ओर से किसी भी मुकदमें से सम्बन्धित कागजातों पर हस्ताक्षर करना तथा प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

9.17.5 लेखा वर्ष समाप्ति के चार माह के अन्दर वार्षिक अधिवेशन बुलाना होगा ।

9.17.6 यह कि समाज में जो भी रुपया जमा होगा उसकी पक्की रसीद दी जावेगी तथा नगद रुपया 10,000/- से ज्यादा रोकड़ में नगद नहीं

रखा जावेगा तब तक कि ऐसी परिस्थिति न हो कि कोई भुगतान नगद तुरन्त देना हो और उस दिन बैंक बन्द हो । लाग का रुपया अगले वर्किंग दिवस में बैंक में जमा कराया जायेगा ।

9.17.7 प्रबन्ध समिति द्वारा बैंकों में संस्था का सेविंग, चालू व स्थायी कोष खाता खोलना जिनका संचालन अध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री में किसी एक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरा द्वारा किया जायेगा ।

9.17.8 संस्था के समस्त विभागों की गतिविधि का समय-समय पर निरीक्षण व संचालन करना ।

9.17.9 संस्था के सभी कागजातों व दस्तावेजों एवं सम्पत्ति को सुरक्षित रखना, इस विषय में संरक्षक मण्डल के निर्देशों का पालन करना एवं संस्था के समस्त दस्तावेजों व संस्था की सम्पत्ति का स्टॉक रजिस्टर रखना और कार्यकाल समाप्त होने पर नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री को हस्तान्तरित करना ।

9.17.10 संस्था के प्रतिदिन के कार्यकलापों को संचालित करना ।

9.17.11 समाज के भवन की देख-रेख, आवंटन करना भवन की लाग बिजली, सफाई, रख-रखाव सम्बन्धी नियमों का पालन करना । संस्था के हित में प्रधानमन्त्री अपने विवेक से आवश्यक होने पर कोई भी निर्णय, अध्यक्ष से विचारोपरान्त उनकी स्वीकृति से ले सकता है जो कि मान्य होगा, उक्त निर्णय की सूचना प्रबन्ध समिति की बैठक में देना अनिवार्य होगा ।संस्था की चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी परिपत्रों, प्रमाण-पत्रों का अवश्यक रुप से नवीनीकरण कराना जो आवश्यक है तथा सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कर नियमानुसार समय पर जमा करना ।

9.18. **<u>संयुक्त मंत्री के कर्त्तव्यः</u>**

9.18.1 प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उनके कर्त्तव्यों का पालन करना ।

9.18.2 संस्था के सभी कार्यों में प्रधानमन्त्री को सहयोग करना ।

9.19 **<u>भण्डार मंत्री के कर्त्तव्य</u>** :

9.19.1 संस्था के भण्डार के सामान की देखभाल, सुरक्षा, रख-रखाव की व्यवस्था करना एवं समस्त सामानों की सूची एवं स्टॉक रजिस्टर रखना ।

9.19.2 विवाह अथवा अन्य किसी सामाजिक अवसर पर नियमानुसार आवश्यक सामान मंगनी देना तथा उसे वापस लेना ।

9.19.3 सामान लेने वालों से सामान को किसी प्रकार क्षति पहुँचाने पर नियमानुसार बाउचर बनाकर कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाना ।

9.19.4 जमानत की रकम को कोषाध्यक्ष के पास नियमानुसार जमा करवाना तथा जमानत वापसी का वाउचर बनाकर कोषाध्यक्ष के पास भुगतान हेतु भेजना ।

9.19.5 भण्डार के लिए खराब हुए सामानों को निकालने एवं मरम्मत आदि का सुझाव प्रबन्ध समिति के समक्ष रखना तथा भण्डार वृद्धि के लिए सुझाव देना ।

9.19.6 भण्डार के स्टाक का निरीक्षण भण्डार मंत्री द्वारा प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा और उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भण्डार मंत्री द्वारा भेजी जायेगी ।

9.19.7 संस्था भण्डार की समस्त वस्तु संस्था के सदस्यों को उनकी सामाजिक आवश्यकता/कार्यों हेतु ही किया गया है । भण्डर मंत्री का यह दायित्व होगा कि किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्तियों को भण्डार के सामान का आवंटन नहीं करेगा । भण्डार के बर्तन एवं अन्य सामान समाज एंवं सदस्यों द्वारा निर्धारित फार्म भरने पर नियमानुसार ही दिया जावेगा । परिस्थिति विशेष में (मरनी आदि काल में) भण्डार मंत्री अपनी जिम्मेदारी पर समाज के व्यक्ति को सामान दे सकता है । ऐसी स्थिति में दिये गये सामान का पूरा विवरण लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर से भण्डार मंत्री को रखना अनिवार्य होगा ।

9.19.8 भण्डार की लाग आदि का निर्धारण प्रबन्ध समिति द्वारा समय - समय पर किया जावेगा । भण्डार मंत्री उसके अनुसार कार्य करेंगे ।

9.18.9 भण्डार का सामान किसी भी स्थिति में सामाजिक कार्य के अलावा अन्य किसी उपयोग हेतु किसी दीगर व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जा सकेगा । कोई वाक्या पकड़ा गया तो भण्डार मंत्री उसके लिए जिम्मेदार होगा । विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध समिति से स्वीकृति लेकर ही किया जा सकता है ।

9.20 **<u>प्रचार मंत्री के कर्त्तव्य</u> :**

9.20.1 संस्था के आवश्यक प्रस्तावों एवं समाचार को विविध पत्रों में प्रचारित करना ।

9.20.2 संस्था के मत का समाज में प्रचार करने के लिए स्वीकृत प्रस्तावों को छपवा कर समाज में बँटवाना ।

9.20.3 आवश्यकतानुसार प्रचार समिति का आयोजन करना तथा उसके समय और स्थान का निश्चय संस्था के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री से सलाह करके करना ।

9.20.4 समाज द्वारा किये गये विभिन्न कार्यक्रमों एवं सूचनाओं को विविध समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित करना । समाज के उद्देश्यों एंव विचार धाराओं का समाज में प्रचार-प्रसार करना ।

9.21 **<u>अन्य मंत्रीयों के कर्त्तव्य</u> :**

9.21.1 मंत्री जिन विभागों में सम्बद्ध होंगे उन विभागों का कार्य विभागीय नियमानुसार तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे ।

9.21.2 विभागीय मंत्री अपने विभाग के व्यय विवरण स्वीकृति हेतु प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे ।

9.21.3 कोई भी विभागीय मंत्री संस्था का कोई कोष अपने पास नहीं रखेंगे।

9.22 **<u>कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य</u> :**

9.22.1 प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गयी, अन्य लोगों द्वारा भेजी गयी धनराशि को बैंको में जमा करना व अपने पास वह अधिकतम 10,000/- रु. (दस हजार रुपये) दिन प्रतिदिन के खर्चे हेतु रख सकेगा । समस्त प्राप्तियों की पक्की रसीद दी जायेगी ।

9.22.2 प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत बिलों का भुगतान करना व समस्त आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा वर्षान्त में प्रबन्ध समिति के समक्ष समस्त आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना ।

9.22.3 प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत बैंकों में संस्था का सेविंग, चालू व स्थायी कोष खाता खोलना जिनका संचालन अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री में किसी एक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरा द्वारा किया जा सकेगा ।

9.22.4 संस्था के आय-व्यय का त्रैमासिक चिट्ठा प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।

9.23 **<u>पदाधिकारियों का कार्यकाल</u> :**

9.23.1 प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । कार्यकाल का प्रारम्भ 16 जनवरी से प्रारम्भ होगा ।

9.23.2 संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा ।

9.23.3 प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही नई प्रबन्ध समिति का चुनाव एवं संस्था की साधारण सभा की बैठक बुलाकर करना अनिवार्य होगा । यदि समयानुसार चुनाव नहीं हो पाता है तो इस नियमावली की धारा 8.14.5 के अनुसार चुनाव कराया जायेगा तथा संस्था के कार्यों का संचालन किया जायेगा ।

9.24 <u>आय-व्यय निरीक्षक</u> :

संस्था का वार्षिक हिसाब किसी मान्यता प्राप्त (चार्टड) एकाउण्टेन्ट द्वारा आडिट किया जायेगा जिसकी नियुक्ति नव-निर्वाचित प्रबन्ध समिति द्वारा एक माह के अन्दर की जायेगी ।

10. मारवाड़ी महिला संगठन :

मारवाड़ी समाज वाराणसी के अन्तर्गत मारवाड़ी समाज की महिलाओं के लिए मारवाड़ी महिला संगठन होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की महिलापओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ-साथ उनको समाज सेवा के क्षेत्र से जोड़ना तथा उनकी प्रतिभा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पुरुष वर्ग के बराबर खड़ा करना है ।

10.1 सदस्यता :

मारवाड़ी वैश्य समाज की वे महिला जो संस्था को एक बार में एक हज़ार एक सौ रुपया (रु.1100/-) देकर संस्था का सदस्यता पत्र भरकर देगी, वे आजीवन सदस्य होंगी । जिसकी रसीद मारवाड़ी समाज के कोषाध्यक्ष द्वारा जारी होगी ।

10.2 सदस्यता विवरण एवं नियम :

10.2.1 वाराणसी जनपद की निवासी व्यस्क मारवाड़ी वैश्य महिला ही आजीवन सदस्य बन सकेंगी ।

10.2.2 आजीवन सदस्य अपने जीवनकाल तक संस्था की सदस्य बनी रहेंगी तथा इस नियमावली के लागू होने के पूर्व जो भी महिला आजीवन सदस्य बन चुकी हैं, वे भी आजीवन सदस्य बनी रहेंगी ।

10.3 सदस्यता हेतु आवेदन एवं निर्णय :

10.3.1 अधिकृत आवेदन-पत्र पर आजीवन सदस्यता के लिए आवेदन मारवाड़ी महिला संगठन की मंत्री के पास किया जा सकेगा, किन्तु ऐसा आवेदन महिला संगठन की किसी एक सदस्या द्वारा प्रस्तावित तथा किसी दूसरी सदस्या द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है ।

10.3.2 महिला संगठन की प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह

किसी महिला की सदस्यता स्वीकार करे या ना करे । इसके लिए उसे कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा । लेकिन प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के 90 दिन के अन्दर निर्णय लेना आवश्यक होगा ।

10.4 सदस्यता की समाप्ति :

10.4.1 किसी भी सदस्य द्वारा लिखित त्याग-पत्र देने पर ।

10.4.2 समाज के हित के विरूद्ध कोई काम करने वाली सदस्या की या जिसकी मनःस्थिति विकृत हो जायेगी या न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर उसकी सदस्यता महिला संगठन से प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर महिला संगठन की साधारण सभा द्वारा समाप्त की जा सकती है ।

10.4.3 नियमावली की किसी भी धारा के विपरीत अगर कोई सदस्य बनती है या बनाई जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी । इसके लिए उसकी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा । साथ ही साथ ऐसे प्रस्तावक एवं अनुमोदन की सदस्यता भी प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा समाप्त की जा सकती है ।

10.4.4 किसी सदस्या के निधन पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

11. <u>मारवाड़ी महिला संगठन की साधारण सभा</u> :

11.1 **गठन :** मारवाड़ी महिला संगठन के आजीवन सदस्याओं द्वारा गठित सभा साधारण सभा होगी ।

11.2 **बैठकः** साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के अन्दर बुलाना अनिवार्य होगा । आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में एक से अधिक बैठक भी की जा सकती है ।

11.3 **अध्यक्षता :** साधारण सभी की अध्यक्षता महिला संगठन की अध्यक्षा द्वारा की जायेगी । उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वरिष्ठता अनुसार अध्यक्षता करेंगी और यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कोई भी उपस्थित न हो तो उपस्थित सदस्यों में से ही सदस्य उस सभा के लिए किसी एक को अध्यक्ष चुनकर उस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगी । उक्त अध्यक्ष को केवल उस बैठक में निर्वाचित अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे । बैठक के पश्चात् नहीं ।

11.4 **निर्णय :** बैठक में किसी भी प्रस्ताव का निर्णय बहुमत द्वारा होगा । मतों में समानता होने पर अध्यक्षा को यह अधिकार होगा कि वे

अपना निर्णायक मत देकर निर्णय लें ।

11.5 बैठक सूचना अवधि :

साधारण सभा की बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर या राष्ट्रीय एवं सांध्यकालीन समाचार-पत्र, एस.एम.एस. एवं व्हाट्स-अप सूचना प्रकाशित कराकर देनी होगी तथा अति-आवश्यक बैठक प्रमुख समाचार-पत्र/पत्रों में 3 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

11.6 गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति 51 सदस्याओं से कम नहीं होनी चाहिए। स्थगित बैठक 15 दिन के भीतर बुलाने पर गणपूर्ति की अनिवार्यता नहीं होगी । लेकिन बैठक में विचारणीय विषय स्थगित बैठक वाले ही होंगे ।

11.7 साधारण सभा के कर्त्तव्य :

11.7.1 संस्था के कार्यों का विवरण प्राप्त करना, विचार करना, निर्णय लेना ।

11.7.2 प्रबन्ध समिति द्वारा साधारण सभा हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर निर्णय देना ।

12. मारवाड़ी महिला संगठन प्रबन्ध समिति :

12.1 गठन : संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्यों के संचालन हेतु 25 सदस्याओं की एक प्रबन्ध समिति होगी ।

12.2 कार्यकाल : प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दो वर्ष को होगा जो 1 जून से प्रारम्भ होकर अगले 24 महीनों के लिए प्रभावी होगा । तत्पश्चात् 1 जून से अगली नई प्रबन्ध समिति स्वतः पदासीन मानी जायेगी ।

12.3 पदाधिकारी :

1. **अध्यक्ष**
2. **प्रथम उपाध्यक्ष**
3. **द्वितीय उपाध्यक्ष**
4. **मंत्री**
5. **उप-मंत्री**
6. **प्रचार-मंत्री**
7. **समाज कल्याण मंत्री**
8. **सांस्कृतिक मंत्री**

9. इसके अतिरिक्त 17 प्रबन्ध समिति सदस्या मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री इस समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे ।

12.4 **बैठक :** मारवाड़ी महिला संगठन प्रबन्ध समिति की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार होगी । आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा भी हो सकती है ।

12.5 **गणपूर्ति :** बैठक में महिला संगठन की प्रबन्ध समिति की कम से कम 13 सदस्याओं की उपस्थिति से संख्यापूर्ति (कोरम) हो सकेगा । संख्या पूर्ति न होने के कारण स्थगित बैठक पुनः सूचना देकर एक सप्ताह के अन्दर बुलाई जा सकेगी । ऐसी बैठक की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी । लेकिन बैठक में विचारणीय विषय स्थगित बैठक वाले ही होंगे ।

12.6 **सूचना अवधि :** प्रबन्ध समिति की बैठक की लिखित सूचना बैठक की तारीख से सात दिन पूर्व लिखित भेजनी आवश्यक होगी । अति आवश्यक बैठक 24 घण्टे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है । आवश्यकता पड़ने पर महीने में एक से अधिक बैठक भी की जा सकती है । प्रबन्ध समिति के 13 सदसयों के हस्ताक्षर से अथवा अध्यक्ष के आदेश पर मंत्री के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक बुलाये । यदि मंत्री ऐसी सूचना पाने के 15 दिन के अन्दर बैठक न बुलाये तो अध्यक्ष द्वारा सात दिन में बैठक बुलाना आवश्यक होगा । अध्यक्ष के द्वारा सात दिन में बैठक न बुलाने पर उक्त 13 सदस्य एक सप्ताह के भीतर अपने ही हस्ताक्षर से लिखित सूचना देकर बैठक बुला सकते हैं ।

12.7 **अध्यक्षता :** प्रबन्ध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतानुसार उपाध्यक्ष करेंगी । अध्यक्ष तथा दोनों उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस बैठक के कार्य संचालन हेतु उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनकर उस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगी । उक्त अध्यक्ष को केवल उस बैठक में निर्वाचित अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, बैठक के पश्चात् नहीं ।

12.8 **निर्णय :** प्रबन्ध समिति की बैठक में सभी निर्णय बहुमत द्वारा होंगे । मतों में समानता होने पर उक्त बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना निर्णायक मत देकर निर्णय लें ।

12.9 **रिक्त स्थानों की पूर्ति:** वर्ष के भीतर प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा पदाधिकारी

का स्थान किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह संस्था की सदस्याओं में से उक्त स्थान की पूर्ति कर लें ।

12.10 प्रबन्ध समिति से सदस्यता समाप्ति :

12.10.1 प्रबन्ध समिति की लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण के बताये अनपुस्थित रहने वाले पदाधिकारी या सदस्य की प्रबन्ध समिति की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त की जा सकती है । किन्तु ऐसे सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा ।

12.10.2 प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी द्वारा लिखित त्याग-पत्र देने पर ।

12.10.3 संस्था की सदस्यता समाप्त होने पर ।

12.11 <u>प्रबन्ध समिति का चुनाव</u> :

प्रबन्ध समिति, नई प्रबन्ध समिति के चुनाव की तिथि (जो कि 31 मई या उसके पूर्व ही होगी) की घोषणा, चुनाव तिथि से 30 दिन पूर्व करेगी और एक चुनाव अधिकारी का मनोनयन करेगी ।

12.11.1 चुनाव अधिकारी स्वतः किसी पद का प्रत्याशी नहीं हो सकेगी ।

12.11.2 चुनाव अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने कार्यों के संचालन हेतु एक या उससे अधिक सदस्याओं की सेवायें ले सकती हैं परन्तु वे सदस्या किसी पद के प्रत्याशी नहीं होगी ।

12.11.3 चुनाव की घोषणा के पश्चात् जो कोई भी आजीवन सदस्य नहीं बनेंगी।

12.11.4 जिस पद के लिए जो सदस्य प्रत्याशी हो । उसी पद के लिए वह अन्य सदस्य के प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकेगी । प्रबन्ध समिति के सदस्य के लिए (प्रशासनीय पद के लिए नहीं) प्रत्याशी अन्य सदस्यों को प्रस्तावक या अनुमोदन कर सकती हैं ।

12.11.5 प्रत्याशी स्वयं अपना प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकती ।

12.11.6 नाम वापसी के लिए प्रत्याशी को अपने हस्ताक्षर से एक पत्र चुनाव अधिकारी को निर्धारित समय में देना होगा । नाम वापसी के पश्चात् यदि किसी पद पर या एक से अधिक पद पर कोई भी प्रत्याशी नहीं रहती है तो नव-निर्वाचित प्रबन्ध समिति अपनी प्रथम बैठक में सभी रिक्त स्थान की पूर्ति करेगी तथा उक्त बैठक का कोरम निर्वाचित पदाधिकारी

एवं सदस्यों की संस्था के आधे से अधिक होगा ।

12.11.7 यदि किसी परिस्थितिवश चुनाव अधिकारी अपना कार्य सम्पादित नहीं कर सकेगी तो प्रबन्ध समिति नये निर्वाचन अधिकारी का मनोनयन करेगी और ऐसा निर्वाचन अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेगी ।

12.11.8 निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा की जायेगी जिसमें प्रत्येक प्रत्याशियों के प्राप्त मतों का विवरण भी रहेगा तथा अपने व साथ में संचालन हेतु सदस्यों से भी हस्ताक्षर कराके ऐसी रिपोर्ट समाज के प्रधानमंत्री को देंगी ।

12.11.9 चुनाव सम्बन्धित विषयों पर चुनाव अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

12.11.10 यहकि निर्वाचित पदाधिकारियों का पदग्रहण निर्वाचन के एक सप्ताह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा एवम् पुराने अधिकारी नये अधिकारियों को अपने विभाग का लिखित चार्ज देना भी अनिवार्य होगा तथा पूर्व मंत्री द्वारा सूचना प्रेस, अन्य जगहों में देने की जिम्मेदारी होगी ।

12.12 <u>प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यः</u>

12.12.1 प्रबन्ध समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने के समस्त आय तथा व्यय की मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री की सहमति से समुचित व्यवस्था करे । मारवाड़ी महिला संगठन किसी भी प्रकार का कोष स्वयं स्वीकार नहीं करेगा सभी तरह की धनराशि मारवाड़ी समाज के कोषाध्यक्ष के यहाँ जमा होगी । सभी कार्यक्रमों के आय-व्यय की स्वीकृति मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री से करवाना अनिवार्य होगा । प्रबन्ध समिति यदि अपनी बैठकों में स्वीकृत विशेष प्रस्तावों को आवश्यक समझे तो साधारण सभा के आगामी अधिवेशनों में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे ।

12.12.2 स्वीकृत प्रस्तावों को समाज में प्रचार की उचित व्यवस्था करना, साधारण सभा का सदस्य बनने के लिए आये हुए आवेदन पत्रों पर विचार तथा निर्णय करना ।

12.12.3 विभिन्न विभागों के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु उप-समितियों का गठन करना एवं उन विभागों से सम्बन्धित नियम बनाना । ऐसी उप-समितियों में संस्था की अध्यक्ष एवं मंत्री पदेन सदस्य होंगी ।

12.12.4 अन्य वे सभी कार्य जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो ।

12.13 **उपसमिति :**

12.13.1 उपसमितियों का गठन आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा । इनका कार्यकाल व अधिकार आदि प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित होगा ।

12.13.2 उपसमितियों का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगा ।

12.13.3 उपसमिति के अधिवेशन की तिथि एवं स्थान का निश्चय उसकी संयोजिका अध्यक्ष तथा मंत्री की सहमति से करेगी ।

12.13.4 प्रत्येक उपसमिति को अपनी प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्य विवरण समय-समय पर प्रबन्ध समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।

12.14 **अध्यक्ष के कर्त्तव्य :**

12.14.1 साधारण सभा तथा प्रबन्ध समिति के अधिवेशनों का संचालन करना ।

12.14.2 किसी विषय पर समान मत प्राप्त होने पर अपना निर्णायक मत देना ।

12.14.3 आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध समिति अथवा साधारण सभा का विशेष अधिवेशन बुलाना ।

12.14.4 मारवाड़ी समाज की प्रबन्ध समिति तथा संरक्षक मण्डल द्वारा माँगी गई सूचना को देना एवं प्राप्त निर्देशों का पालन करना ।

12.14.5 संस्था के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सम्बद्ध पदाधिकारी एवं अन्य से जानकारी प्राप्त करना । आवश्यक होने पर किसी भी पदाधिकारी को निर्देश देना । ऐसा दिया गया निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारी को मान्य होगा ।

12.15 **उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य :** अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके कर्त्तव्यों का वरिष्ठतानुसार पालन करना ।

12.16 **मंत्री के कर्त्तव्य :**

12.16.1 नियमानुसार तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध समिति तथा साधारण सभा का अधिवेशन बुलाना ।

12.16.2 साधारण सभा एवं प्रबन्ध समिति की कार्यवाही लिखना तथा उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

12.17 **उप-मंत्री के कर्त्तव्य:**

12.17.1 मन्त्री की अनुपस्थिति में इनके कर्त्तव्यों का पालन करना ।

12.17.2 संस्था के सभी कार्यों में मन्त्री को सहयोग करना ।

12.18 **प्रचार मंत्री के कर्त्तव्य :**

12.18.1 संस्था के आवश्यक प्रस्तावों एवं समाचार को विविध पत्रों में प्रचारित करना

12.18.2 संस्था के मत का समाज में प्रचार करने के लिए स्वीकृत प्रस्तावों को छपवा कर समाज में बँटवाना ।

12.18.3 आवश्यकतानुसार प्रचार समिति का आयोजन करना तथा उसके समय और स्थान का निश्चय करना

12.18.4 समाज द्वारा किये गये विभिन्न कार्यक्रमों एवं सूचनाओं को विविध समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित करना । समाज के उद्देश्यों एंव विचार धाराओं का समाज में प्रचार-प्रसार करना ।

12.19 **अन्य मंत्रीयों के कर्त्तव्य :**

12.19.1 मंत्री जिन विभागों में सम्बद्ध होंगे उन विभागों का कार्य विभागीय नियमानुसार तथा मंत्री के परामर्श से करेंगे ।

12.19.2 विभागीय मंत्री अपने विभाग के व्यय विवरण स्वीकृति हेतु मंत्री के पास भेजेगी ।

12.19.3 कोई भी विभागीय मंत्री संस्था का कोई कोष अपने पास नहीं रखेंगी ।

12.20 **पदाधिकारियों का कार्यकाल :**

12.20.1 प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । कार्यकाल का प्रारम्भ 1 जून से प्रारम्भ होगा

12.10.2 प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही नई प्रबन्ध समिति का चुनाव एवं संस्था की साधारण सभा की बैठक बुलाकर करना अनिवार्य होगा ।

13. **मारवाड़ी महिला संगठन सलाहकार मण्डल** - मारवाड़ी महिला संगठन की सभी भूतपूर्व अध्यक्षा इसकी सदस्यता होंगी तथा मारवाड़ी महिला संगठन की प्रबन्ध समिति के सलाहकार की भूमिका में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी ।

14. **अन्य समितियाँ :** संस्था द्वारा संचालन हेतु लीज या अन्य प्रकार से कोई सम्पत्ति ली जाती है तो उसको संचालित करने के लिए एक अलग से समिति का गठन किया जायेगा जो स्वतन्त्र रूप से मारवाड़ी समाज (संस्था) के अन्तर्गत संस्था द्वारा

संचालित समिति होगी ।

15. **भवन सम्बन्धी नियमः**

15.1 संस्था का भवन एवं उसके सामान समाज के कार्यों के लिए समाज द्वारा बनाया गया है । अतः उसका उपयोग सामाजिक कार्य जैसे विवाह, शादी, धार्मिक अनुष्ठान, कथा आदि कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा ।

15.2 किसी भी राजनीतिक संस्था को राजनैतिक मंच हेतु भवन का आवंटन नहीं किया जा सकेगा । परिस्थिति विशेष में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष की स्वीकृति से ऐसा कर सकता है । इसमें संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा ।

15.3 संस्था भवन का आवंटन संस्था के सदस्यों को उनके माध्यम से या स्वयं समाज के मारवाड़ी वैश्य लोगों के लिए ही प्रथम वरीयता में किया जावेगा । इसके विपरीत प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उसी स्थिति में विचार होगा । जब समाज के किसी सदस्य का आवंटन न हो तथा तिथि विशेष खाली हो ।

15.4 अगर संस्था भवन का आवंटन किसी अन्य प्रार्थी को जो संस्था व समाज का सदस्य नहीं है, किया गया है और उसी तिथि के लिए संस्था समाज के किसी अन्य सदस्य का प्रार्थना-पत्र आवंटन के लिए प्राप्त होता है तो उस स्थिति में 120 दिन की छूट अन्य प्रार्थी द्वारा आवंटन को देना अनिवार्य होगा । अर्थात अन्य प्रार्थी का आवंटन एक सौ बीस दिन पूर्व ही निरस्त किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जमा धनराशि अगर कोई है तो पूर्ण वापस होगी ।

15.5 प्रधानमन्त्री संस्था भवन का आवंटन प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित धनराशि लेकर करेगा । भवन की लाग, सुरक्षा धनराशि आदि जो भी शुल्क निर्धारित होंगे उनका ब्यौरा आवश्यक रसीद बनाकर रुपया जमा करेगा । बिना रुपया जमा किये भवन का आवंटन पूर्ण नहीं माना जायेगा । सिर्फ प्रार्थना पत्र से आरक्षण नहीं होगा ।

15.6 अगर किसी सदस्य या व्यक्ति ने संस्था के भवन का आवंटन किसी तिथि में करवाया है, और किन्हीं कारणों से वह उस तिथि में कार्य विशेष नहीं कर सकता और आवंटन रद्द करवाना चाहता है, तो

15.6.1 ऐसी स्थिति में उस तिथि की कोई दूसरा आवंटन नहीं प्राप्त होता है तो प्रार्थी की सम्पूर्ण धनराशि जब्त हो जावेगी । अगर कोई अन्य आवंटन प्राप्त हो गया तो 25 प्रतिशत काटकर वापस दी जावेगी ।

15.6.2 अगर प्रार्थी 60 दिन पूर्व आवेदन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देता है तो 25 प्रतिशत काटकर सम्पूर्ण धनराशि वापस देय होगी ।

15.6.3 अगर प्रार्थी के यहाँ कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित हो जाती है और इस कारण से वो वांछित कार्य आवंटन तिथि पर नहीं कर सकता तो प्रबन्ध समिति के निर्णय से सम्पूर्ण धनराशि वापस की जा सकेगी ।

15.7 समाज के अति निर्धन, साधनहीन व्यक्ति के विवाह आदि कार्यों हेतु भवन का आवंटन निःशुल्क किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में प्रबन्ध समिति के किन्हीं चार सदस्यों का अनुमोदन आवश्यंक होगा ।

15.8 समाज के धार्मिक कार्यों के लिए जैसे कथा, प्रवचन, वार्षिक धार्मिक कार्यों आदि के लिए भवन का आवटन संस्था या व्यक्ति के विशेष से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर प्रधानमंत्री/ अध्यक्ष की सहमति से भवन लाग लेकर किया जा सकता है । ऐसे धार्मिक कार्यों का आवंटन खाली दिनों में ही किया जा सकेगा ।

16. <u>अन्य नियम</u> :

16.1 यदि समाज का कोई पदाधिकारी या सदस्य अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेगा अथवा समाज के उद्देश्यों या इसके विरूद्ध कोई कार्य करेगा अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को किसी भी तरह की हानि पहुँचाने की चेष्टा करेंगा, तो प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बहुमत से ऐसे पदाधिकारी या सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दें ।

16.2 संस्था के नियमों में परिवर्तन या परिवर्द्धन का अधिकार साधारण सभा का होगा जो विशेष रूप से उसी कार्यक्रम हेतु आहुत की जावेगी । परिवर्तन या परिवर्द्धन की सूचना सदस्यों को सभा की सूचना के साथ देना आवश्यक है । कोई भी परिवर्तन या परिवर्द्धन बहुमत द्वारा पास किया जा सकेगा । ऐसी सभा में कम से 101 एक सौ एक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

16.3 समाज के मुख्य भवन का प्रयोग केवल सामाजिक कार्यों के लिए ही किया जावेगा। किसी भी स्थिति में भवन का कोई भी हिस्सा किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को भाड़े पर या अन्य रूप में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से नहीं दिया जा सकेगा।

16.4 संस्था की अचल सम्पत्ति न तो रेहन रखी जा सकती है न किसी अन्य प्रकार का लेन - देन ही इससे लिए किया जा सकता है। परिस्थिति विशेष में कोई भी निर्णय धारा 17.2 के अनुरुप ही लिया जा सकेगा।

17. **संस्था के विघटन के नियम :**

17.1 यदि किसी समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जावे कि संस्था को विघटित करना पड़ सकता है, तो प्रबन्ध समिति प्रथम इसका निर्णय कर संरक्षक मण्डल को सूचित करेगी। संरक्षक मण्डल अपना प्रतिवेदन साधारण सभा में रखेगा जो विशेष रुप से इस कार्य की सूचना देकर बुलाई जावेगी। ऐसी सभा में संघ के उस वक्त के सदस्यों की कुल संख्या के आधे (अर्थात् अगर कुल संख्या 100 है तो उसके आधे 50 की लिखित, हस्ताक्षरित उपस्थिति अनिवार्य होगी। समस्या का निस्तारण 2/3 के बहुमत से ही होगा।

17.2 संस्था को विघटित करने पर उसकी कुल सम्पत्ति किसी ऐसी संस्था को दे दी जायेगी जिसके उद्देश्य इससे मिलते जुलते हों और जिसे उपस्थित सदस्यों में से 3/5 सदस्य स्वीकार करें। ऐसी सभा में उस वक्त की सदस्य संख्या के 1/2 (अर्थात आधे) की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

17.3 अन्य कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत होगी।

मारवाड़ी युवक सघ
संयोजक
(संविधान संशोधन समिति)

मारवाड़ी युवक सघ
अध्यक्ष

मारवाड़ी युवक संघ
प्रधानमंत्री